

[भारत के राज-पत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं० 54/2019-सीमाशुल्क (गै.टे.)

नयी दिल्ली, 01 अगस्त, 2019

सा. का. नि. __ (अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 30, 30क, 41, 41क, 53, 54, 56, धारा 98 की उप-धारा (3) और धारा 158 की उप-धारा (2)के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कराते हुये सी.कारगो और ट्रांसशिपमेंट रेग्युलेशन्स, 2018 में संशोधन करने के लिए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ- (1) इन विनियमों को सी कार्गो मैनीफेस्ट एंड ट्रांस शिपमेंट रेग्युलेशन्स, (द्वितीय संशोधन) 2019 कहा जाएगा।
(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।
2. सी कारगो मैनीफेस्ट एवं ट्रांसशिपमेंट रेग्युलेशन्स, 2018
(i) उपरोक्त विनियम की प्रस्तावना में "एक्सपोर्ट मैनीफेस्ट (वेसल्स) रेग्युलेशन्स, 1976 और ट्रांसपोटेशन ऑफ गुड्स (विदेशी क्षेत्रों से) रेग्युलेशन, 1965 अभिव्यक्तियों के स्थान पर "इम्पोर्ट मैनीफेस्ट" (वेसल्स) रेग्युलेशन्स, 1971 और एक्सपोर्ट मैनीफेस्ट (वेसल्स) रेग्युलेशन्स, 1976 अभिव्यक्तियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) विनियम 2 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे-

'2. परिभाषाएँ-(1) इन विनियमों में जब तक प्रसंगानुसार अन्यथा आवश्यक न हो-

(क) अधिनियम का अभिप्राय सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) होगा,

(ख) "आगमन मैनीफेस्ट" से अभिप्राय उस एकीकृत घोषणा से है, जो किसी प्राधिकृत कैरियर के द्वारा आगमन से पहले या आगमन पर दिया जाना आवश्यक है।

- (i) आयातित माल, निर्यात माल या समुद्री माल को लाने वाला जहाज।
- (ii) आयातित माल, निर्यात माल को लाने वाले रेलगाड़ी या ट्रक;
- (ग) “प्राधिकृत कैरियर” से अभिप्राय ऐसे प्राधिकृत सी कैरियर, प्राधिकृत ट्रेन ऑपरेटर, अभिरक्षक से है जो विनियम 3 और पोस्टल प्राधिकरण के तहत पंजीकृत हो;
- (घ) “प्राधिकृत सी कैरियर” से अभिप्राय जहाज के ऐसे किसी मालिक जो कि आयातित माल, निर्यात माल या तटीय माल को ले जा रहा हो या उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति से है; जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित हो;’
- (ङ) “प्राधिकृत ट्रेन ऑपरेटर” से अभिप्राय ऐसे ट्रेन ऑपरेटर से है जो कि आयातित माल, निर्यात माल ले जा रहा हो’
- (च) “अभिरक्षक” से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसे धारा 45 के उद्देश्य के लिए आयुक्त सीमा शुल्क द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
- (छ) “ प्रस्थान मैनीफेस्ट” से अभिप्राय उस एकीकृत घोषणा से है, जो किसी प्राधिकृत कैरियर के द्वारा निम्नलिखित के प्रस्थान से पहले दिया जाना आवश्यक है-

- (i) आयातित माल, निर्यात माल, या तटीय माल के जहाज;
- (ii) आयातित माल या निर्यात माल के रेल गाड़ी या ट्रक;
- (ज) “ निर्धारित विदेशी मार्ग” से अभिप्राय ऐसे मार्ग से है जो एम भारतीय पोर्ट अन्य भारतीय पोर्ट के बीच हो, जो किसी जहाज द्वारा बांग्लादेश या श्रीलंका की समुद्री सीमा से होकर पार किया गया हो, चाहे वह श्रीलंका या बांग्लादेश के किसी पोर्ट पर आया हो नहीं’
- (झ) “फार्म” से अभिप्राय इन विनियमों में संलग्न फार्म से है या आगमन या प्रस्थान मैनीफेस्ट के संबंध में <https://www.icegate.gov.in> वेबसाइट पर उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से है’
- (झ) “न्यायिक आयुक्त सीमा शुल्क” से अभिप्राय सीमा शुल्क आयुक्त से है जिसे विनियम 3 के तहत पंजीकरण प्रदान किया गया हो’
- (ट) “डाक प्राधिकारी” से अभिप्राय ऐसे डाक कार्यालय अधिकारी से है जैसा कि भारतीय डाक कार्यालय अधिनियम में परिभाषित किया गया है’
- (ठ) “ विशेष आर्थिक क्षेत्र” से अभिप्राय ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्र से है जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 (2005 का 28) के अनुसार हो’
- (2) इन विनियमों के उद्देश्य के लिए सीमा शुल्क आयुक्त संबंधी किसी भी संदर्भ में प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त का संदर्भ भी शामिल होगा।
- (3) यहाँ प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियों जो परिभाषित नहीं किए गए हैं परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका अर्थ क्रमशः वही होगा जो अधिनियम में है।

(क) उपनियम (1) में, निम्नलिखित परन्तुक को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा,-

“बशर्ते कि पोस्टल प्राधिकरण को पंजीकरण के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी जहाँ पोस्टल प्राधिकरण ने आयुक्त, सीमाशुल्क को इन नियमों के तहत व्यापार करने के लिए सूचित कर दिया हो”

(ख) उपनियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियमों को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा,-

“(1क) कोई अन्य व्यक्ति जिसे केंद्र सरकार द्वारा आगमन या प्रस्थान मैनिफेस्ट को भरने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया हो उसे आयुक्त सीमा शुल्क के नाम फार्म-I के साथ दस लाख रुपए के लिए फॉर्म XI में 10 लाख रुपये का एक बॉन्ड और एक बैंक गारन्टी देनी होगी, या एक पोस्टल सिक्योरिटी या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र या एक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी एक फिक्स डिपोजिट रसीद देनी होगी;

बशर्ते कि किसी प्राधिकृत एकोनोमिक ऑपरेटर को एक बैंक गारन्टी, या एक पोस्टल सिक्योरिटी या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र या एक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी 10 लाख रुपये का एक फिक्स डिपोजिट देने की आवश्यकता नहीं होगी।”

(IV) नियम 4 में,

(क) उपनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उपनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

“(1) आयातित माल, निर्यात माल या तटीय माल को लाने वाले प्रत्येक प्राधिकृत सी-कैरियर को यथोचित अधिकारी के पास इलेक्ट्रानिक रूप से आगमन मैनिफेस्ट भरना होगा:

बशर्ते कि जहां आगमन मैनिफेस्ट या इसके किसी भी भाग को इलेक्ट्रानिक रूप से भरा जाना संभव न हो, वहाँ ऐसे मैनिफेस्ट या इसके किसी भाग को आयुक्त सीमाशुल्क या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के अनुमोदन से मैनुअल रूप से दो प्रतियों में भरा जाएगा।

आगे बशर्ते कि जहाज केवल तटीय माल ले जा रहा हो और ऐसे घाटों से ऑपरेट कर रहा हो जो केवल लदान और उतराई बंदरगाहों पर तटीय माल के लिए हैं तो ऐसी अवस्था में अगमान मैनिफैस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी;

(ख) उपनियम (3) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा,-

“(4) उपनियम (3) में किसी भी बात के होते हुए, प्राधिकृत सी कैरियर के लिए क्रमशः फॉर्म VIA और VIB में दी गई सूचना को अपडेट कर सकता है:

- (i) गंतव्य सीमा शुल्क पोर्ट पर अनुमानित आगमन से 48 घंटे पहले- ऐसे जहाज जो पिछले पोर्ट से होकर निकलने और अगले पोर्ट तक पहुँचने के बीच छियान्ववे घंटों से अधिक की यात्रा कर चुका हो;
- (ii) गंतव्य सीमा शुल्क पोर्ट पर अनुमानित आगमन से 24 घंटे पहले- ऐसे जहाज जो पिछले पोर्ट से होकर निकलने और अगले पोर्ट तक पहुँचने के बीच अड़तालीस से छियान्ववे घंटों से की यात्रा कर चुका हो;
- (iii) गंतव्य सीमा शुल्क पोर्ट पर अनुमानित आगमन से 06 घंटे पहले- ऐसे जहाज जो पिछले पोर्ट से होकर निकलने और अगले पोर्ट तक पहुँचने के बीच अड़तालीस घंटों से कम की यात्रा कर चुका हो;

बशर्ते कि जहाज जो गैर कंटेनरीकृत कार्गो ले जा रहें हो, चाहे कंटेनरीकृत कार्गो ले जा रहें हो या नहीं, प्राधिकृत सी कैरियर गंतव्य सीमा शुल्क पोर्ट पर प्रवेश से पहले आगमन मैनिफेस्ट अपडेट करेगा चाहे यात्रा की अवधि कितनी भी हो;

(V) नियम 5 में-

(क) उपनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उपनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

“ (1) एक प्राधिकृत सी कैरियर जो निर्यातित माल, आयात माल या तटीय माल ले जा रहा हो, पोर्ट से जहाज के प्रस्थान से पहले प्रस्थान मैनिफेस्ट उचित अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से देगा:

बशर्ते कि जहां प्रस्थान मैनिफेस्ट या इसके किसी भी भाग को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरा जाना संभव न हो, वहाँ ऐसे मैनिफेस्ट या इसके किसी भाग को आयुक्त सीमाशुल्क या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के अनुमोदन से मैन्युअल रूप से दो प्रतियों में भरा जाएगा।

आगे बशर्ते कि जहाज केवल तटीय माल ले जा रहा हो और ऐसे घाटों से ऑपरेट कर रहा हो जो केवल लदान और उतराई बंदरगाहों पर तटीय माल के लिए हैं तो ऐसी अवस्था में अगमान मैनिफेस्ट देने कि आवश्यकता नहीं होगी;

(ख) उपनियम (2) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा,-

“(3) कोई भी प्राधिकृत सी कैरीयर प्रस्थान मैनीफेस्ट को प्रस्थान के बाद 24 घंटे के अन्दर अपडेट कर सकता है;

बशर्ते कि जहाज गैर कंटेनरीकृत कार्गो ले जा रहे हो, चाहे कंटेनरीकृत कार्गो ले जा रहे हो या नहीं ले जा रहा हो, प्राधिकृत सी कैरीयर प्रस्थान के बाद बहतर घंटों के अन्दर प्रस्थान मैनीफेस्ट अपडेट कर सकता है;

(VI) नियम 6 में, उपनियम (1) में,-

- (i) खण्ड (ड) को समाप्त किया जाएगा;
- (ii) “पृथक पेज और लदान पोर्टों के आदेश में वर्णित किया जायेगा” शब्दों के स्थान पर, “फॉर्म XII” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(Vii) नियम 7 एवं 8 के लिए निम्नलिखित नियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

- “7 **आयातित माल या निर्यात माल की ट्रांसशिपमेंट:** एक प्राधिकृत कैरीयर रेलगाड़ी या ट्रक के और प्रस्थान से पूर्व एक प्रस्थान मैनीफेस्ट दाखिल करेगा और रेलगाड़ी या ट्रक के आगमन पर एक आगमन मैनीफेस्ट दाखिल करेगा, जैसा भी मामला हो, इन फॉर्म में मैनीफेस्ट दाखिल करेगा;
- (1) एक पोर्ट के बीच आयात या निर्यात माल के शिपमेंट/आईसीडी और इन्लैंड कन्टेनर डिपो/कन्टेनर फ्रेट स्टेशन/विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजैड)/विदेशी डाक कार्यालय और इसके विपरीत के लिए फॉर्म VIII में.
 - (2) एक पोर्ट और भू-सीमाशुल्क स्टेशन और इसके विपरीत के बीच आयातित माल के ट्रांसशिपमेंट या ट्रांजिट के लिए फॉर्म VIIIक में”;

8. आगमन या प्रस्थान मैनीफेस्ट में संशोधन या विलम्ब के लिए माफी- जहाँ आयुक्त, सीमाशुल्क द्वारा मनोनीत उचित अधिकारी संतुष्ट होता हो कि-

(i) आगमन मैनीफेस्ट या प्रस्थान मैनीफेस्ट में किसी प्रकार की गलती या अपूर्ण होना और यह कि मैनीफेस्ट की अन्तर्वस्तु के गलत या अपूर्ण जमा करवाने के लिए कोई कपटपूर्ण आशय नहीं था; या

(ii) इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित समयावधिक के भीतर आगमन मैनीफेस्ट या प्रस्थान मैनीफेस्ट को नहीं दिये जाने का उचित कारण होना,

प्राधिकृत कैरीयर के अनुरोध पर वह यथा मामला आगमन मैनीफेस्ट या प्रस्थान मैनीफेस्ट में संशोधन करने या पूरा करने, या आगमन मैनीफेस्ट या प्रस्थान मैनीफेस्ट या इसके किसी भाग को दाखिल न करने में हुई देरी के लिए माफी के लिए अनुमति दे सकता है।

(Viii) नियम 9 में,

(क) उपनियम (1) में, खण्ड (घ) के लिए निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

“बशर्ते कि आयुक्त, सीमाशुल्क कतिपय मामलों में लिखित रूप में रिकॉर्ड किये गए कारणों के लिए कंटेनर या बंधुआ ट्रक या बंद ट्रक या वैगन को सील किये बिना ट्रांसशिपमेंट की अनुमति देता है

(ख) उपनियम (2) में, “क्षेत्र” शब्द के लिए “मार्ग” शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा

(ix) नियम 10 में,-

(क) उपनियम (1) में,

i. खण्ड (च) में, “क्षेत्र या मार्ग” शब्दों के बाद “ इसकी अभिरक्षा के अंतर्गत” शब्दों को सन्निविष्ट किया जाएगा, यथा,-

ii. खण्ड (1) के लिए, निम्नलिखित खण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

“(1) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 या धारा 50 के तहत प्रविष्टियों की जांच के लिए सीमाशुल्क के द्वारा हिरासत में लिए गए माल से लदे कंटेनर पर कोई कंटेनर पर कोई डिटेंशन शुल्क नहीं लगाया जाएगा, यदि प्रविष्टियाँ सही पायी जाती हैं,”

बशर्ते कि प्राधिकृत कैरीयर साठ दिनों की समाप्ति के बाद शुरू समयावधि के लिए कंटेनर डिटेंशन शुल्क के मांग कर सकता है।

(ख) उपनियम (2) के लिए, निम्नलिखित उपनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

“(2) प्राधिकृत कैरीयर सीमाशुल्क आयुक्त को सूचित करने के बाद इन नियमों के तहत किसी भी कार्य के लिए, जो उसके द्वारा किया जाना आवश्यक हो, किसी व्यक्ति को अपने ओर से आउटसोर्स कर सकता है। प्राधिकृत कैरीयर या ऐसा

व्यक्ति इन नियमों के तहत व्यापार करने के दौरान हुए किसी भी कृत्य या चूक के लिए उत्तरदायी होगा।

(x) नियम 14 के पश्चात, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“15. संक्रमणकालीन प्रावधान (1) नियम 4, 5 और 7 में निहित किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकृत सी कैरीयर इन नियमों के लागू होने से 45 दिनों की समयावधि तक क्रमशः फॉर्म VIक या VIख और फॉर्म VIIक या VIIख में कार्गो घोषणा दे सकता है, या फॉर्म VIII या VIIIक में आगमन और प्रस्थान मैनीफेस्ट को दाखिल कर सकता है।

(iii) इन नियमों में निहित किसी बात के होते हुए भी प्राधिकृत सी कैरीयर इम्पोर्ट मैनीफेस्ट (वैसल्स) रेग्युलेशन्स, 1971 में विनिर्दिष्ट फॉर्म III और एक्सपोर्ट मैनीफेस्ट (वैसल्स) रेग्युलेशन्स, 1976 में विनिर्दिष्ट फॉर्म I में कार्गो घोषणा दाखिल करना 01 नवम्बर 2019 तक जारी रखेगा, जैसा कि इन नियमों के लागू होने से पूर्व प्रयोज्य था ।

(xi) फॉर्म VIII के बाद निम्नलिखित फॉर्म-VIIIA सन्निविष्ट किया जायेगा, यथा-

फॉर्म- VIIIक

[देखें नियम 7]

I. आयातित माल का पोर्ट और लैंड कस्टम्स स्टेशन्स के बीच ट्रांसशिपमेंट:

(क) प्रस्थान मैनीफेस्ट जिसे पोर्ट पर भरा जाना है:

प्राधिकृत कैरीयर कोड:				प्राधिकृत कैरीयर की बॉन्ड सं.				
पोर्ट:				प्रस्थान मैनीफेस्ट सं. और तारीख: स्व चलित				
क्रम सं.	आगमन मैनीफेस्ट सं./तारीख, जिसके द्वारा	लाइन सं.	माल का विवरण	कन्टेनर सं. तथा कस्टम्स सील सं.	ट्रेन सं./ट्रक सं.	गन्तव्य स्थान	निवल वजन तथा सकल वजन,	पोर्ट से बाहर निकलने का समय

	कार्गो पोर्ट पर आया था।						कन्टेनर में न बंद कार्गो के मामले में	

(ख) आगमन मैनीफेस्ट जिसे लैंड कस्टम्स स्टेशन पर भरा जाना है:

प्राधिकृत कैरीयर कोड:				प्राधिकृत कैरीयर की बॉन्ड सं.			
लैंड कस्टम्स स्टेशन:				आगमन मैनीफेस्ट सं. तथा तारीख: स्व चलित			
क्रम सं.	प्रस्थान मैनीफेस्ट, जिसे पोर्ट पर भरा गया था	प्रस्थान मैनीफेस्ट की तारीख	ट्रेन सं./ट्रक सं.	कन्टेनर तथा कस्टम्स सील सं.	माल का विवरण	निवल वजन तथा सकल वजन, कन्टेनर में न बंद कार्गो के मामले में	प्रवेश का समय तथा तारीख

II. आयातित माल का लैंड कस्टम्स स्टेशन से पोर्ट तक ट्रांसशिपमेंट:

(क) प्रस्थान मैनीफेस्ट जिसे लैंड कस्टम्स स्टेशन पर भरा जाना है:

प्राधिकृत कैरीयर कोड:				प्राधिकृत कैरीयर की बॉन्ड सं.			
लैंड कस्टम्स स्टेशन (एलसीएस):				प्रस्थान मैनीफेस्ट सं. और तारीख: स्व चलित			
क्रम सं.	आयात रिपोर्ट सं. जिसके तहत कार्गो एलसीएस तक	कन्टेनर सं. तथा कस्टम्स सील सं.	गन्तव्य	माल का विवरण	ट्रेन सं./ट्रक सं.	निवल वजन तथा सकल वजन, कन्टेनर में न बंद कार्गो के मामले में	निकासी का समय

	पहुँचा हो						

(ख) आगमन मैनीफेस्ट जिसे पोर्ट पर भरा जाना है:

प्राधिकृत कैरीयर कोड:			प्राधिकृत कैरीयर की बॉन्ड सं.				
पोर्ट:			आगमन मैनीफेस्ट सं. तथा तारीख: स्व चलित				
क्रम सं.	प्रस्थान मैनीफेस्ट जो पोर्ट पर भरा गया हो और तारीख	माल का विवरण	कन्टेनर सं. तथा कस्टम्स सील सं.	ट्रेन सं./ट्रक सं.	निवल वजन तथा सकल वजन, कन्टेनर में न बंद कार्गो के मामले में	प्रवेश का समय और तारीख	

II. आयातित माल का लैंड कस्टम्स स्टेशन से पोर्ट तक ट्रांसशिपमेंट:

(ग) प्रस्थान मैनीफेस्ट जिसे लैंड कस्टम्स स्टेशन पर भरा जाना है:

प्राधिकृत कैरीयर कोड:			प्राधिकृत कैरीयर की बॉन्ड सं.				
लैंड कस्टम्स स्टेशन (एलसीएस):			प्रस्थान मैनीफेस्ट सं. और तारीख: स्व चलित				
क्रम सं.	आयात रिपोर्ट सं. जिसके तहत कार्गो एलसीएस तक पहुँचा हो	कन्टेनर सं. तथा कस्टम्स सील सं.	गन्तव्य	माल का विवरण	ट्रेन सं./ट्रक सं.	निवल वजन तथा सकल वजन, कन्टेनर में न बंद कार्गो के मामले में	निकासी का समय

(घ) आगमन मैनीफेस्ट जिसे पोर्ट पर भरा जाना है:

प्राधिकृत कैरीयर कोड:	प्राधिकृत कैरीयर की बॉन्ड सं.
-----------------------	-------------------------------

कस्टम्स स्टेशन्स			आगमन मैनीफेस्ट सं. तथा तारीख: स्व चलित			
क्रम सं.	प्रस्थान मैनीफेस्ट जो पोर्ट पर भरा गया हो और तारीख	माल का विवरण	कन्टेनर सं. तथा कस्टम्स सील सं.	ट्रेन सं./ट्रक सं.	निवल वजन तथा सकल वजन, कन्टेनर में न बंद कार्गो के मामले में	प्रवेश का समय और तारीख

(xi) फॉर्म X के बाद निम्नलिखित फॉर्म-XI और फॉर्म XII सन्निविष्ट किया जायेगा, यथा-

फॉर्म – XI

(देखें नियम 3 (1क))

सर्वजन को विदित हो कि हम भारत के राष्ट्रपति के प्रति 10 लाख रुपये के भुगतान के लिए बाध्य होते हैं जिसके लिए हम एतद्वारा अपने को, और इसके लिए हममें से प्रत्येक स्वयं को या अपने उत्तराधिकारी को या अपने अधिशासी को या प्रसाशक को दिनांक (माह) (सन) को बाध्य करते हैं।

जहाँ कि उक्त कार्गो मैनीफेस्ट एन्ड ट्रांसशिपमेंट रेग्युलेशन, 2019 (समुद्र) के अंतर्गत प्राधिकृत कैरीयर के रूप में काम करने के लिए पंजीकृत है और उक्त ने उक्त विनियम में यथा आवश्यक बॉन्ड को भरने के लिए सहमत है।

और जहाँ कि उक्त ने अपने तथा अपने कर्मचारी विश्वसनीय व्यवहार के लिए उक्त विनियम के अनुसार राष्ट्रपति के पास 10,00,000/- रुपये (दस लाख रुपये मात्र) जमा कर दिया है।

अब उपर्युक्त लिखित बॉन्ड की शर्त यह है कि यदि उक्त और उसके कर्मचारी उपर्युक्त पंजीकरण की अवधि तक इस विनियम के अनुसार विश्वसनीय ढंग से व्यवहार करेंगे और यदि उक्त और उनके निष्पादक या प्रशासक उक्त विनियमों के अंतर्गत अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाते हैं तो सरकार को माफ किये जाने पर उक्त 10,00,000 रुपये की राशि अदा करेंगे।

और ऐसे भुगतान के पश्चात उपर्युक्त लिखित दायित्व शून्य हो जायेगा और इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा अन्यथा यह पूरी तरह लागू रहेगा।

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में उपर्युक्त व्यक्तियों द्वारा दिनांक (माह) (सन) को हस्ताक्षरित, मुहरबंद और प्रदत्त।

1.

2.

राष्ट्रपति के प्रति और उनकी ओर से स्वीकृत

प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क/आयुक्त, सीमाशुल्क का हस्ताक्षर

फॉर्म- XII

[देखें नियम 6]

क्रम सं.	क्षेत्र का विवरण			अभ्युक्ति
1.	सोने और चांदी का ब्यौरा			
	सोने और चांदी का स्वरूप	भार	मूल्य	
2.	अस्त्र एवं शस्त्र			
	क्रम सं.	प्रकार	मात्रा	
3.	विस्फोटक			
	क्रम सं.	प्रकार	मात्रा	
4.	स्वापक और मनः प्रभावी पदार्थ			

	क्रम सं.	प्रकार	मात्रा	
5.	रेडियोधर्मी पदार्थ			
	क्रम सं.	प्रकार	मात्रा	
6.	अन्य कोई घोषणा जो, सीमाशुल्क अधिनियम या तत्समय लागू अन्य किसी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत की जाये			

[फा.सं. 450/58/2015-Cus-IV]

(जुबेर आर. कामिली)
निदेशक (सीमाशुल्क)

नोट: प्रधान नियमों को सा.का.नि. 448 (अ) दिनांक 11 मई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II , खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 17/2019- सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 27-02-2019, सा.का.नि. 165(अ), दिनांक 27 फरवरी, 2019 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।